मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-11-1-2012/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में.

सामान्यत: यह धारणा है कि शासकीय कर्मचारी स्वयं के संवर्ग में जिस पर पदस्थ हैं के समकक्ष या उच्च पद पर ही प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं. किन्तु बाह्य सेवा के संबंध में शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि कतिपय विभागों द्वारा शासकीय कर्मचारियों को अपने संवर्ग से निम्न पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया जा रहा है. मूल विभाग में उच्च पद पर पदस्थ कर्मचारी के निम्न पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने से वेतन भत्ते के आहरण के संबंध में कठिनाई आती है.

2. अत: भविष्य में शासकीय कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति समतुल्य/समकक्ष या उच्च पदों पर ही की जावे न कि निम्न पद पर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एस. एन. मिश्रा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.